रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266011
CG-DL-E-08092025-266011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3959]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947
No. 3959]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

का.आ. 4074(अ).— जबकि मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेंटर, ब्लॉक बी, 34 संत तुकाराम रोड, कार्नाक बंदर, मुंबई, महाराष्ट्र - 400009, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "तमिलनाडु के करूर में 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/54/2024-PG दिनांकित 06.06.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "तमिलनाडु के करूर में 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों डेक्कन क्रॉनिकल (अंग्रेजी में) दिनांक 21.03.2025, द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 21.03.2025, दक्षिण प्रकाश (हिंदी में) दिनांक 21.03.2025,

दिनाकरन (तमिल में) दिनांक 21.03.2025, दीनाथंती (तमिल में) दिनांक 21.03.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 03.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 14.08.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और समाचार पत्र प्रकाशन में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर 39 आपत्तियां/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 39 आपत्तियों/अभ्यावेदन में, उन्होंने 18 भूस्वामियों/शिकायतकर्ताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 08 आपत्तियां स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि न तो टावर और न ही लाइन कॉरिडोर आपत्ति पत्रों में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या से होकर गुजरता है, 04 आपत्तियां करूर पीएस के पास कॉरिडोर क्षेत्र से संबंधित हैं जहां जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने पहले ही भूमि मालिकों/शिकायतकर्ताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ईएचवी लाइन का निर्माण किया है और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ साझा समझौते के माध्यम से उसी कॉरिडोर का उपयोग करेगा। शेष 09 आपत्तियों का उचित उत्तर दिया गया है और उसके बाद उपरोक्त 09 शिकायतकर्ताओं से कोई और आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "तमिलनाडु के करूर में 198 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन पूलिंग स्टेशन ग्राम सेनापतिपालयम, तालुक कंगायम, जिला तिरुपुर, तमिलनाडु में स्थित है) - करूर पीएस (आईएसटीएस एस/एस) डी/सी टावरों पर 230 केवी एस/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन **तमिलनाडु** के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील / तालुक	जिला	राज्य
1	मुत्तानायक्कनवलासु, वेलप्पनयाक्कनवलासु, सुंदरादिवलासु, पप्पावलासु, वेल्लाट्टंगाराईपुदुर, मोट्टक्कलिवलासु, वडकरई मनलूर, मेलरंगम, सेनापतिपालयम,	कंगायम	तिरुपुर	तमिलनाडु
2	कुरिक्करंतुराई, मुलप्पलैयम, मेट्टूर, पुदुर, कोम्बई, सिलमपट्टी, एरासिनमपालयम, येल्लाप्पलैयम कॉलोनी, नलुरोडु, करूप्पनवलासु, संबलटोट्टम, नाराणवलासु, नट्टरमंगलम, तट्टारवलासु, मोलक्कवुन्दनवलासु, रक्कियावलासु, कुमारय्यापलायम, उत्तमकवुन्दनवलासु, नैनाकावुन्दनवलासु, सनारपलायम, नट्टपलायम, वल्लियप्पनकवुंदनवलासु, कुलंदैकवुंदनवलासु, वट्टक्कलिवलासु, थुरमबड़ी	धारापुरम	तिरुपुर	तमिलनाडु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/39/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2025

S.O. 4074(E).— Whereas M/s Tata Power Renewable Energy Limited having its registered address at Tata Power Company Limited, Corporate Centre, Block B, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai, Maharashtra-400009, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamil Nadu”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/54/2024-PG dated 06.06.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamil Nadu”.

M/s Tata Power Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Deccan Chronicle (in English) dated 21.03.2025, The Times of India (in English) dated 21.03.2025, Dakshin Prakash (in Hindi) dated 21.03.2025, Dinakaran (in Tamil) dated 21.03.2025, Dinathanthi (in Tamil) dated 21.03.2025 and in Weekly Gazette of India dated 03.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Tata Power Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 14.08.2025 declaring that 39 objections/representations were received within two months from the date of publication in the official gazette of Government of India and from the date of publication in the Newspaper Publication. In the 39 objections/representation, they have signed agreements with 18 Landowners/Complainants, 08 Objections are not admissible as neither tower nor line corridor passes through the survey numbers mentioned in the objection letters, 04 Objections pertain to corridor area near Karur PS where JSW Energy Limited has already signed agreement with the Landowners/Complainants and constructed the EHV line and Tata Power Renewable Energy Limited will utilize the same corridor through sharing agreement with JSW Energy Limited and the remaining 09 objections have been replied suitably and thereafter no further objection/representation have been received from the aforementioned 09 Complainants.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established

or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for its 198 MW Wind Power Project in Karur, Tamil Nadu". The following overhead line is covered under this scheme:

1. Generation Pooling Station of M/s Tata Power Renewable Energy Limited (Generation pooling station located in village Senapathipalayam, Taluk Kangayem, District Tiruppur, Tamil Nadu) – Karur PS (ISTS S/s) 230 kV S/c line on D/c towers

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Tamil Nadu**:

S No.	Name of Villages	Tehsil/Taluk	District	State
1.	Muttanayakkanvalasu, Velappanayakkanvalasu, Sundaradivalasu, Pappavalasu, Vellattangaraipudur, mottakkalivalasu, Vadakarai manalur, Mailrangam, Senapathipalayam	Kangayem	Tiruppur	Tamilnadu
2.	Kurikkaranturai, Mulappalaiyam, Mettur, Pudur, Kombai, Silampatti, Erasinampalaiyam, Yellappalaiyam Colony, Naluroadu, Karuppanvalasu, Sambalatottam, Naranavalasu, Nattarmangalam, Tattaravalasu, Molakkavundanvalasu, Rakkiyavalasu, Kumarayyapalaiyam, Uttamakavundanvalasu, Nainakavundanvalasu, Sanarpalaiyam, Nattapalaiyam, Valliappankavundanvalasu, Kulandaikavundanvalasu, Vattakkalivalasu, Thurambadi	Dharapuram	Tiruppur	Tamilnadu

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Tata Power Renewable Energy Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Tata Power Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/39/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.08 22:52:41 +05'30'